ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रा. मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

मिसिल संख्या 6-5/2023(ए.एम.पी.सी.) **13, पौष 1945/ 3 जनवरी, 2024**

3 JAN 2024

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में आया है कि काउसिंल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन डेवलपमेंट (CHRED), तरसाली, ओ.एन.जी.सी. रोड, जी.इ.बी. सब स्टेशन, साई मंदिर के पास, तरसाली, वडोदरा, गुजरात- 390 009, यूजीसी अधिनियम, 1956 का घोर उल्लंघन करते हुए विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा है।

यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22, यह निर्धारित करती है कि:

(1) "उपाधियां प्रदान करने या देने के अधिकार का प्रयोग किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाने वाली किसी संस्था द्वारा या संसद के किसी अधिनियम द्वारा उपाधियां प्रदान करने या देने के लिए विशेषतः सशक्त किसी संस्था द्वारा ही किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति या प्राधिकारी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा या नहीं देगा अथवा उसे प्रदान करने या देने के हकदार के रुप में अपना व्यपदेशन नहीं करेगा।"

जबकि, काउसिंल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन डेवलपमेंट (CHRED) को न तो विश्वविद्यालयों की सूची में धारा 2 (एफ) या धारा 3 के तहत सूचीबद्ध किया गया है और न ही यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार कोई डिग्री प्रदान करने का अधिकार है।

इसलिए, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से छात्र-छात्राओं एंव उनके अभिभावकों, आम जनता और अन्य हितधारकों को आगाह किया जाता है कि वे **उपरोक्त स्वयंभू संस्थान में प्रवेश न लें,** ऐसे स्वयंभू संस्थान में प्रवेश लेने से छात्रों का करियर खतरे में पड़ सकता है।

(मनीष जोशी)

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337 | Fax : 011-2323 8858 | E-mail : secy.ugc@nic.in